प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

रोजगार की नई पहल

के.वि.आई.सी.– राष्ट्रीय नोडल अभिकरण

वेबसाईटः www.pmegp.in. www.kvic.org.in ई–मेलः regpkviic@gmail.com

प्रधान मंत्री
रोजगार सृजन
कार्यक्रम (प्रमंरोसृका)

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार का एक क्रांतिकारी निर्णय है, जिसे प्रधान मंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को विलय कर तैयार किया गया है।

नोडल अभिकरण :

खादी और ग्रामोद्योग आयोग पूरे देश में राष्टीय स्तर पर इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल अभिकरण है।

कार्यान्वयी अभिकरण और क्षेत्र :

खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एवं जिला उद्योग केंद्र, ग्रामीण और शहरी – दोनों क्षेत्रों के लिए।

परियोजना का अधिकतम आकार :

विनिर्माण क्षेत्र के लिए रु .25.00 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए रु. 10.00 लाख।

शैक्षणिक योग्यताः

विनिर्माण क्षेत्र के लिए रु 10.00 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए रु. 5.00 लाख से अधिक की परियोजना लागत के लिए न्यूनतम VIII वीं कक्षा उत्तीर्ण।

उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षणः

2 सप्ताह का उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण अनिवार्य है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ही बैंक द्वारा ऋण की पहली किस्त जारी की जाएगी। जो आवेदक पहले ही 2 सप्ताह का प्रशिक्षण ले चुके है, उनके लिए आगे प्रशिक्षण से छूट होगी।

आवेदन कैसे करें:

प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक प्रसार माध्यमों में योजना को विज्ञापित किया जाएगा। लाभार्थी अपना आवेदन पत्र, परियोजना प्रतिवेदन के साथ खादी और ग्रामोद्योग आयोग/खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड/जिला उद्योग केंद्र/बैंक के निकटतम कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

अपेक्षित दस्तावेज:

परियोजना, शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र (जहॉ जागू हो), उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (केवल प्रशिक्षणप्राप्त लाभार्थियों के लिए)।

लाभार्थियों का चयन :

लाभार्थियों का चयन जिला मजिस्ट्रेट/जिला आयुक्त/कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित, जिला कार्य दल समिति व्दारा साक्षात्कार के माध्यम से होगा।

परियोजना की मंजूरी :

तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता के अनुसार बैंकों की वित्तपोषक शाखाऍं परियोजना को मंजूरी देंगी।

बैंक ऋण की राशि :

बैंक परियोजना लागत की 90–95% राशि मंजूर और जारी करेंगे।

निजी अंशदान:

सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के मामले में परियोजना लागत का 10% व अन्य श्रेणी के लाभार्थियों के मामले में परियोजना लागत का 5% ।

योजना के अंतर्गत सरकारी सब्सिडी का स्तर :

प्रमंरोसृका के अंतर्गत लाभार्थियों की श्रेणी		स्वयं का अंशदान	सब्सिडी का दर
		(परियोजना लागत में)	
क्षेत्र		शहरी	ग्रामीण
सामान्य	10%	15%	25%
(अजा / अजजा / अपिव / अल्पसंख्यक,महिला,पूर्व सैनिक,शारीरिक विकलांग और पूर्वोत्तर,पहाडी व सीमावर्ती क्षेत्रों सहित)	05%	25%	35%

विपणन सहायता :

प्रमंरोसृका इकाईयों के उत्पादों के लिए विपणन सहायता के रूप में उत्पादों को बढावा देने के लिए प्रदर्शनियॉ, केता–विकेता सम्मेलन आदि आयोजित किए जाऍगे।

भौतिक सत्यापन :

निगरानी के एक भाग के रूप में तथा योजना के प्रभाव को जानने और सरकारी सब्सिडी का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए 100% भौतिक सत्यापन किया जाएगा।

निगरानी :

निगरानी राज्य / अंचल / राष्ट्रीय स्तर पर की जाएगी।

बैंकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज :

सहायक सेवा के रूप में योजना के अंतर्गत बैंकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के लिए निधि उपलब्ध कराई जाएगी।

उद्योग समूह :

कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, वन आधारित उद्योग, हस्तनिर्मित कागज / रेशा,खनिज आधारित उद्योग, पालिमर और रसायन आधारित उद्योग, ग्राामीण अभियांत्रिकी एवं जैव–प्रौद्योगिकी, कपडा को मिलाकर सेवा उद्योग।

निषिद्ध कार्यों की सूची :

मांसाहार से जुडे उद्योग अर्थात् उसका प्रसंस्करण, डिब्बाबंदी या मॉसाहारी खाद्यपदार्थ परोसना, बीडी, पान, सिगार, सिगरेट, आदि नशीली वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री, कोई ऐसा होटल या ढाबा जहॉ शराब या मॉसाहारी भोजन परोसा जाता हो, कच्चे माल के रूप में तंबाकू का प्रयोग, ताडी चुलाना और बेचना, चाय, कॉफी, रबर आदि के बागान सहित फसलों की खेती से जुडे उद्योग/कार्य, रेशमपालन (कंकूनपालन) , बागवानी, हार्वेस्टर सहित पुष्पोद्यानिकी, मत्सयपालन, शूकरपालन, मुर्गीपालन जैसे पशुपालन कार्य, वातावरण को प्रदूषित करने वाले पॉलिथीन की थैलियों का विनिर्माण और पुनःचक्रीकृत प्लास्टिक से बने थैले या कन्टेनर या कोई ऐसा उत्पाद जो पर्यावरण को नुकसान पहूँचा सकता है, ग्राामीण परिवहन (अंडमान और निकोबार में ऑटो रिक्शा, जम्मू और कश्मीर में हाउस बोट, शिकारा और पर्यटक नौका और साईकिल रिक्शा को छोडकर)।

अधिक जानकारी के लिये राज्य कार्यालय, खादी और ग्राामोद्योग आयोग, भोपाल/जिले के (जिला पंचायत) म.प्र. खादी और ग्राामोद्योग बोर्ड कार्यालय/जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं बैंक की निकटतम शाखा से संपर्क कर सकते हैं।

खादी और ग्राामोद्योग आयोग
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार
बी/3, बी/4, कार्यालय परिसर, गौतम नगर,
भोपाल (म.प्र.)
0755 – 2583667, 2583668

MSME
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
MIGRO SMALL & MEDIUM ENTERPRISES